समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

वर्ष: 16 | पाक्षिक | अंक: 05 | भोपाल | प्रकाशन दि.–10.03.2019

पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह | पृष्ट–8 (परिपत्र क्र. 07–08)

परिपत्र क्रमांक : 07

राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 21–2–2019 का कार्य–विवरण

माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 21–2–2019 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर बिन्दुवार उद्योग संघों के द्वारा उठाई गई मांगों/समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित उठाये गये विषय, उन पर हुई चर्चा एवं बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

1. म.प्र. लघु उद्योग संघ, भोपाल (MP Small Scale Industries Organization):–

(i) विगत वर्षो में एम.एस.एम.ई. इकाइयों पर लगने वाली फैक्ट्री एक्ट के तहत लायसेंस फीस में अत्यधिक वृद्धि की गई है तथा वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में लायसेंस फीस में 30% वृद्धि हो जाती है। म.प्र. लघु उद्योग संघ के अनुसार लायसेंस फीस की वर्तमान दरें एवं उनमें प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में होने वाली वृद्धि अत्यधिक है तथा इस वृद्धि के कारण औद्योगिक इकाईयों पर आने वाले आर्थिक भार के कारण औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः फैक्ट्री एक्ट के तहत लायसेंस फीस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

(ii) फौजदारी न्यायालय में प्रकरण श्रम न्यायालय की अनुशंसा होने पर ही दाखिल किया जाए, जिससे फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनईयों से उद्यमी को राहत मिल सके ताकि उद्योग प्रदेश में औद्योगिक वातावतरण को और समृद्ध करने में सहयोगी बन सकें।

श्रम विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर फैक्ट्री एक्ट के तहत लगने वाली लायसेंस फीस के संबंध में अपर सचिव, श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लायसेंस फीस में वृद्धि कई वर्षों के पश्चात् की गई है जोकि अन्य राज्यों की तुलन में कुछ अधिक है, परन्तु अभी भी यह महाराष्ट्र से कम है।

संघ की मांग पर बोर्ड द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि लायसेंस फीस में हुई वृद्धि को युक्तियुक्त किये जाने पर श्रम विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(ii) श्रम विभाग से संबंधित दूसरे बिन्दु पर बोर्ड का यह मत था कि किसी औद्योगिक इकाइयों में दुर्घटन/हादसा होने पर सभी संबंधित विभागों के द्वारा अपने अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। बोर्ड द्वारा उद्योग संघ की इस मांग के संबंध में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विधि विभाग से परामर्श लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

: प्रधान सम्पादक : विपिन कुमार जैन

: सम्पादक : कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर, सुनील कुमार गोठी

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

2. **पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (PHDCCI), भोपाल**

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिये जाने वाले सम्मति शुल्क एवं उसके नवीनीकरण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि की गई है, जिसके कारण औद्योगिक इकाइयों पर आर्थिक भार काफी अधिक हो गया है।

पर्यावरण विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

प्रदूषण न्यिंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिये जाने वाले सम्मति शुल्क एवं उसके नवीनेकरण शुल्क के संबंध में प्रमुख सचिव (पर्यावरण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि शुल्क में विगत 10 वर्षो से वृद्धि नहीं हुई थी इस कारण अभी की गई वृद्धि अधिक प्रतीत हो रही है परन्तु यह वृद्धि मध्य प्रदेश राज्य में अन्य राज्यों की तुलन में अभी भी कम है। प्रस्तुत विषय पर बोर्ड को यह जानकारी दी गई कि दिनांक 19–2–2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योगपतियों के साथ हुई चर्चा में यह विषय उठाया जा चुका है अतः विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर शीर्ष स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3. म.प्र. एसोसिएशन वूमैन इन्टरप्रेन्योर्स (MAWE) जबलपुरः–

सूक्ष्म और कुटीर महिला उद्यमियों के लिये अपने फर्म के नमों में बैंक खाते खोलने के लिये बैंक को गुमाश्ता या नगर निगम व्यापार लायसेंस की आवश्यकता होती है, इसके लिये रेन्टल एग्रीमेंट या सम्पत्ति के नमों के कागजात सहित कई दस्तावेज अनिवार्य हैं। घरों या बहुत छोटी जगहों पर उद्योग चला रही महिलाओं के मामले में, संपत्ति दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नगर निगम, व्यापार लायसेंस, UAM (उद्योग आधार मेमोरेण्डम) के आधार पर लायसेंस जारी कर सकते हैं।

एमएसएमई विभाग, न्गरीय विकास एवं आवास विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

म.प्र. एसोसिएशन वूमैन इन्टरप्रेन्योर्स (MAWE) जबलपुर की अध्यक्ष श्रीमती अर्चन भटनगर के द्वारा बोर्ड को यह बताया गया कि सूक्ष्म और कुटीर महिला उद्यमियों को गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त करने में परेशानी का सामन करन पड रहा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं के पास स्वयं की कोई सम्पत्ति/आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं जिसके कारण उन्हें गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः ऐसी स्थिति में इनको UAM के आधार पर गुमाश्ता लायसेंस मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। MAWE की मांग पर बोर्ड को यह अवगत कराया गया कि UAM (उद्योग आधार मेमोरेण्डम) सिर्फ निर्माण एवं सेवा गतिविधि के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि ऐसी महिलाओं में व्यवसाय करने वाली महिलाओं की बड़ी संख्या हो सकती है अतः UAM (उद्योग आधार मेमोरेण्डम) के आधार पर गुमाश्ता मिलने की व्यवस्था से समस्या का निराकरण नहीं होगा। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिस स्थान पर सूक्ष्म/कुटीर उद्योग संचालित है, उस स्थान के मालिक की सहमति/अनपत्ति संबंधी दस्तावेज को भी मान्य करते हुए गुमाश्ता लायसेंस प्रदाय किये जान चाहिए।

4. फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (FMPCCI) भोपालः–

प्रदेश के उद्योगों को एच.टी. कनेक्शन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट का प्रावधान है। प्रदेश में 95 प्रतिशत से भी अधिक एमएसएमई एल.टी. कनेक्शन से उत्पादन कर रही है, इसलिये प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों हेतु 11 के.व्ही. एल.टी. कनेक्शन पर भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट दिया जान उचित होगा।

ऊर्जा विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (FMPCCI) भोपाल के अध्यक्ष श्री आर.एस. गोस्वामी द्वारा बोर्ड के समक्ष उठाये गये मुद्दे पर ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि एचटी कनेक्शन की विद्युत प्रदायगी में Losses कम होते हैं, इस कारण एचटी कनेक्शन वाली इकाइयों को ड्यूटी में छूट दी जाती है।

FMPCCI के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि विद्युत दरें एवं MU पर मिलने वाली छूट एचटी एवं एलटी दोनें तरह की इकाई के लिए समान रूप से आकर्षक होनी चाहिए। उर्जा विभाग विद्युत दरों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करे और यदि इसमें अतिरिक्त वित्तीय भार आता है तो वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाये।

5. (1) पावरलूम बुनकर संघ, बुरहानपुर
(2) बुरहान्पुर टेक्सटाईल ट्रेडर्स एसोसिएशन, बुरहानपुर
(3) बुरहानपुर वीवर्स एसोसिएशन, बुरहानपुर :–

1. किसानें की तरह बुनकरों को भी बिजली बिल फिक्स रेट 300/– रूपये प्रति हार्स पॉवर किये जायें। उत्तर प्रदेश में बुनकर उपभोक्ताओं को बिल कार्ड (पासबुक) अलग से प्रदान की जाती है जिसमें 4 हार्स पॉवर की लाइन पर बुनकर 572/– रूपये बिल अदा करता है।
2. 24 घंटे चलने वाली मशीनरी पर लगाया जाने वाला पॉवर फैक्टर/कैपेसिटर चार्ज पावर बुनकरों हेतु समाप्त किया जाये क्योंकि पावरलूम निरंतर 24 घंटे नहीं चलते हैं।
3. सब्सिडी की राशि आधार लिंक बैंक बचत खाते में जाने वाली व्यवस्था को बंद किया जाये।
4. वर्तमान में 20 हार्स पॉवर तक लघु उद्योग हेतु प्रति यूनिट 30 प्रतिशत की सब्सिडी है। जिसे 20 हार्स पॉवर के उपर के बिजली उपभोक्ताओं पर भी मानय किया जाये। किसी भी स्थिति में 20 हार्स पॉवर से अधिक विद्युत कनेक्शन पर रूपये 3.15 प्रति यूनिट विद्युत भार नहीं होन चाहिये।
5. पावरलूम उद्योग के साथ–साथ Warping, Sizing, Printing, Winding, Air Compressor, Humidification, Twisting, Doubling/TFO, Textile Pro इत्यादि भी कपडा निर्माण में महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः इन प्रक्रियाओं हेतु भी विद्युत अनुदान पावरलूम अनुरूप प्रदान किया जावे।
6. पावरलूम बुनकरों के काफी विद्युत कनेक्शन ऐसे होते हैं जो अब नहीं रहे हैं अथवा शहर से बाहर चले गये हैं। ऐसे कनेक्शन के नमांतरण हेतु कैंप लगाकर निशुल्क नमांतरण की कार्यवाही की जान चाहिये।

बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

पावरलूम बुनकर संघ के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी मांगों को बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

6. विभिन्न संघः–

नगर पालिकाओं/नगर निगमों के द्वारा औद्योगिक इकाईयों से उन्हें औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवंटित सम्पूर्ण भूखण्ड पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है जबकि इकाईयों से प्रॉपर्टी टैक्स उनके निर्मित क्षेत्र के आधार पर लिया जान चाहिये।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

विभिन्न संघों के द्वारा उठाई गई उक्त मांग एवं एक अन्य मांग दोहरे करारोपरण के संबंध में यह चर्चा हुई कि औद्योगिक इकाईयों से प्रापर्टी टैक्स प्राप्त करन नगरीय निकायों को उनके अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार है, अतः इसमें छूट दी जा सकन संभव नहीं है। प्रापर्टी टैक्स के संबंध में संघों के सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि औद्योगिक इकाइयों को भूमि लीज

पर दी जाती है, अतः इस पर प्रापर्टी टैक्स की देयता नहीं आन चाहिये। अतः बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लीज पर दी गई भूमिपर प्रापर्टी टैक्स की देयता के संबंध में नियमों का पूर्ण परीक्षण करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्थिति बोर्ड की आगामी बैठकमें प्रस्तुत की जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स की देयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने तक नगरीय निकाय औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी टैक्स की राशि पृथक खाते में रखते हुए संधारण का कार्य सुनिश्चित करें।

उक्त मुद्दे पर बैठक में यह भी चर्चा हुई कि मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में यह प्रावधान किया जा चुका है कि उद्योग संघ यदि चाहें तो वे अपने जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के रख रखाव की जिम्मेदारी ले सकते हैं तथा ऐसी व्यवस्था अपने पर उद्योग संघ स्वयं रख–रखाव की दरें तय कर सकते हैं।

7. विभिन्न संघः–

औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों को जो भूमि लीज पर दी गई है, उसे फ्री होल्ड किया जावे।

बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण संघों की उक्त मांग पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी तथापि संघ के सदस्यों के द्वारा उक्त मुद्दा वचन पत्र में सम्मिलित होने संबंधी ध्यान आकर्षित करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को बताया गया कि वचन पत्र में सम्मिलित सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये शासन प्रतिबद्ध है।

8. अन्य चर्चा बिन्दुः–

नगर पालिका हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री, वाहनें हेतु आवश्यक सामग्री, पार्कों हेतु आवश्यक सामग्री, एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां शासन निर्देशानुसार GeM (Government E Market Place) से क्रय करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं जिसके अन्तर्गत नगर पालिका द्वारा भी GeM से ही आवश्यक सामग्रियां क्रय की जाती है, GeM में उपलब्ध सामग्रियों की दरों का स्थानेय मार्केट में प्रचलित दरों से एनलिसेस करने पर GEM से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की दरें स्थानीय मार्केट की दरों में लगभग डबल होती हैं तथा सामग्री की गुणवत्ता भी सही नहीं होती है। जिसका कारण GeM को बंद कर स्थानीय मार्केट एवं ऑनलाइन निविदाओं से ही सामग्रियां क्रय की जाती है तो नगरवासियों को समय–सीमा में आवश्यक मूलभूत सुविधाए उपलब्ध हो पायेंगी तथा सामग्री भी कम दरों पर क्रय की जा सकेगी।

GeM को बंद कर स्थानीय मार्केट एवं ऑनलाइन निविदाओं के माध्यम से ही सामग्रियां क्रय करने की सुविधाऐं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

एमएसएमई विभाग का अभिमत एवं बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णयः–

प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि शासकीय विभागों/संस्थाओं/निगमों में शासकीय क्रय के लिये बनाये गये मध्यम प्रदेश भण्डार क्रय जाने का प्रावधान है तथा यह कार्यवाही संबंधित विभाग स्तर पर ही की जानी चाहिये तथापि संघों की मंशानुसार भण्डार क्रय नियम के दायरे में आने वाले सभी विभागों/संस्थाओं को नियमों के पालन के लिये अनुरोध किया जावेगा।

बैठक के अंत में बोर्ड की बैठकें निर्धारित समयाविध में सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लेते हुए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक उद्योग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–"अ"

लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की दिनांक 21–02–2019 में उपस्थित अधिकारी/प्रतिनिधियों की सूची

क्रमांक	अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम	विभाग/संस्था का नम
1	श्री के.सी. गुप्ता	प्रमुख सचिव–सह–उद्योग आयुक्त
2	श्री अनुपम राजन	प्रमुख सचिव, पर्यावरण
3	श्री मनीष सिंह	उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
4	श्री ललित दाहिमा	उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
5	श्री मालसिंह	अपर सचिव, श्रम विभाग
6	श्री रोहित शाह	उप सचिव, उर्जा विभाग
7	श्री पी.एन. पाण्डे	अपर संचालक,नगरीय विकास एवं आवास विभाग
8	श्री डी.एम.नेमा	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग,
9	श्री संजय पाठक	उप संचालक, उद्योग संचालनलय,
10	श्री राजीव जैन	ओएसडी, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग
11	श्री राजेन्द्र गार्गव	एचओडी(मार्केटिंग) म.प. लघु उद्योग निगम,
12	श्री मारूत सिंह	स्टेट नेडल ऑफीसर, Gem म.प्र. लघु उद्योग निगम
13	श्री दुर्गेश रायकवार	सहायक संचालक, (पी.आर.ओ) जन्संपर्क
14	श्री दीपक शर्मा अध्यक्ष,	लघु उद्योग संघ, मध्यप्रदेश
15	डॉ. आर.एस. गोस्वामी	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ चैम्बर कामर्स इण्डस्ट्री मध्यप्रदेश
16	श्री सुभाष विट्ठलदास	अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स इण्डस्ट्री मध्यप्रदेश
17	श्रीमती अर्चन भटनगर	अध्यक्ष, एमपी एसोसियेशन वूमैन इंटरप्रेन्योर्स जबलपुर
18	श्री आर.जी. द्विवेदी	क्षेत्रीय संचालक,पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स इण्डस्ट्री मध्यप्रदेश
19	श्री आलोक दवे	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश
20	श्री कैलाश अग्रवाल	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ऑर्गनइजेशन
21	श्री हिरदेश किरार	अध्यक्ष, दलित इण्डियन चैम्बर आफॅ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री मध्यप्रदेश
22	श्री सतीश मुकाती	प्रांत सचिव, लघु उद्योग भारती मध्यप्रदेश
23	श्री अंकुर प्रमाल	उप संचालक, सी.आई.आई. मध्यप्रदेश

परिपत्र क्रमांक : 08

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

January 1, 2019

RBI release guidelines on restructuring of advances to MSMEs

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) form an important component of the Indian economy and contribute significantly to the country's GDP, exports, industrial output, employment generation, etc. Considering the importance of MSMEs in the Indian economy, it is considered necessary at this juncture to take certain measures for creating an enabling environment for the sector.

The issue of restructuring of MSME accounts was discussed in the meeting of the Central Board of RBI on November 19, 2018. The matter was also discussed during RBI's recent interactions with the banks and other stakeholders.

The above issue has been examined in RBI and a view has been taken to facilitate meaningful restructuring of MSME accounts that have become stressed. RBI has decided to permit a one-time restructuring of existing loans to MSMEs that are in default but 'standard' as on January 1, 2019, without an asset classification downgrade. To be eligible for the scheme, the aggregate exposure, including non-fund based facilities of banks and NBFCs, to a borrower should not exceed ?250 million as on January 1, 2019. The restructuring has to be implemented by March 31, 2020. A provision of 5% in addition to the provisions already held, shall be made in respect of accounts restructured under this scheme. Each bank/NBFC should formulate a policy for this scheme with Board approval which shall, inter alia, include framework for viability assessment of the stressed accounts and regular monitoring of the restructured accounts.

Jose J. Kattoor
Chief General Manager

Press Release: 2018-2019/1521

N E W S

मध्यप्रदेश श्रम विधियों (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विभिन्न श्रम कानूनों में एकीकृत एक रजिस्टर एवं दो रिटर्न्स के प्रावधान की सुविधा

श्रम आयुक्त, म.प्र. इन्दौर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/19/तीन/2016/1673–86 दिनांक 09.01.2019 द्वारा यह अवगत कराया गया हैं कि मध्यप्रदेश श्रम विधियॉ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 के भाग–दस– ''विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियॉ प्रस्तुत किये जाने से छूट'' (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 27.11.2015) तथा इसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून 2016 में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–4/इ–2/2015/ए–16 के अनुसार **सभी नियोजकों को 13 श्रम कानूनों में मात्र एक रजिस्टर तथा मात्र दो वार्षिक रिटर्न्स की सरलीकृत सुविधा एवं इस रजिस्टर एवं रिटर्न्स को कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजीटल रूप में संधारित करने संबंधी प्रावधान किये गये हैं।** लेकिन ''ईंज ऑफ डुईंग बिजनेस'' के अन्तर्गत प्रदान की जा रही इस सुविधा का लाभ इनकी पर्याप्त जानकारी नही होने के कारण से अधिकांश औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों द्वारा नहीं लिया जा रहा है।

अतः श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी आर्गेनाइजेशन से संबंध इकाइयों तथा क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थान को प्रेषित करने का आग्रह किया गया है। हम उक्त के अग्रेतर कार्यवाही में आपकी ओर उक्त जानकारी शासन द्वारा प्रदत्त सुविधायों का लाभ उठाने हेतु प्रेषित कर रहे है। जिन सदस्यों को उक्त से संबंधित राज्य शासन की अधिसूचनाओं की मूल प्रतियों की आवश्यकता हो, वे श्रम आयुक्त कार्यालय इन्दौर तथा आर्गेनाइजेशन के कार्यालय एवं जिले में सहायक श्रम आयुक्त/उपसंचालक/श्रम पदाधिकारी /सहायक संचालक से प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त अधिसूचनाऍ श्रम आयुकत कार्यालय की वेबसाईट www.labour.mp.gov.in तथा म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की वेबसाईट http://www.mplus.co.in/showcirculercatWise.php?catId=6 से भी डाउनलोड की जा सकती है।

Major Decisions taken by the GST Council in its 32nd Meeting under the Chairmanship of the Union Minister of Finance & Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley

The GST Council in its 32nd Meeting under the Chairmanship of the Union Minister of Finance & Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley in New Delhi took the following major decisions to give relief to MSME (including Small Traders) among others -

1. Increase in Turnover Limit for the existing Composition Scheme: The limit of Annual Turnover in the preceding Financial Year for availing Composition Scheme for Goods shall be increased to Rs 1.5 crore. Special category States would decide, within one week, about the Composition Limit in their respective States.

1.1 Compliance Simplification: The compliance under Composition Scheme shall be simplified as now they would need to file one Annual Return but Payment of Taxes would remain Quarterly (along with a simple declaration).

2. Higher Exemption Threshold Limit for Supplier of Goods: There would be two Threshold Limits for exemption from Registration and Payment of GST for the suppliers of Goods i.e. Rs 40 lakhs and Rs 20 lakhs. States would have an option to decide about one of the limits within a weeks' time. The Threshold for Registration for Service Providers would continue to be Rs 20 lakhs and in case of Special Category States at Rs 10 lakhs.

3. Composition Scheme for Services: A Composition Scheme shall be made available for Suppliers of Services (or Mixed Suppliers) with a Tax Rate of 6% (3% CGST +3% SGST) having an Annual Turnover in the preceding Financial Year up to Rs 50 lakhs.

3.1 The said Scheme Shall be applicable to both Service Providers as well as Suppliers of Goods and Services, who are not eligible for the presently available Composition Scheme for Goods.

3.2 They would be liable to file one Annual Return with Quarterly Payment of Taxes (along with a Simple Declaration).

4. Effective date: The decisions at Sl. No. 1 to 3 above shall be made operational from the 1st of April, 2019.

5. Free Accounting and Billing Software shall be provided to Small Taxpayers by GSTN.

6. Matters referred to Group of Ministers:
   i. A seven Member Group of Ministers shall be constituted to examine the proposal of giving a Composition Scheme to Boost the Residential Segment of the Real Estate Sector.
   ii. A Group of Ministers shall be constituted to examine the GST Rate Structure on Lotteries.

7. Revenue Mobilization for Natural Calamities: GST Council approved Levy of Cess on Intra-State Supply of Goods and Services within the State of Kerala at a rate not exceeding 1% for a period not exceeding 2 years.

Ferrous / Nonferrous Metals
- Chemical Composition
- UTS/Yield strenth
- % Elongation
- Hardness- Brinell, Rockwell, Vickers
- Impact - Izod / Charpy

Plastics & Rubbers
- HDPE Pipes
- PVC, CPVC & UPVC Pipes
- Drip Irrigation
- Water Tanks
- Pet Bottles & Containers

Building, Highway Material & Project Testings
- Geotechnical Investigations
- Building material and Highway material testing
- Non destructive testing

Electrical / Electronics & IT
- Led Lights
- IT equipments
- Cells & Batteries
- LED TVs.
- Microwave Oven

(As per BIS-CRS requirements)

Calibrations
- Universal Testing Machine (UTM) ✦ CTM
- Hardness / Impact tester
- Weights & Balances
- Pressure & Vaccum Gauges
- Ovens ✦ Furnaces ✦ Thermocouples
- Dial Gauges / Vernier / Scales
- Electro technical - Multimeter, Voltmeter, Ammeter, Resistance, Capacitance, Inductance

Validations & Calibrations for Hospitals & Pharma Industries
- HVAC & Clean Room Validations
- Operation Theater Validation
- Hepa filter testings
- Temperature & RH Mapping
- Calibrations of Medical & Pharmaceutical Instruments

ISO 9001 NSIC ISO 9001 : 2008

Central India's Single window solution to Industrial Testing and Calibration needs

(NABL Accredited, BIS Recognized)

Newly Introduced TOYS TESTING

ktrc Quality first & forever

KAILTECH TEST & RESEARCH CENTRE PVT. LTD.

Plot No. 141C, Electronic Complex, Pardesipura, INDORE (M.P.) 452 010 (INDIA)

Ph.:+91-731-4787555 (30 Lines) 4046055, 4048055 ✦ E-mail : contact@kailtech.net ✦ Website : www.kailtech.net

उद्यम प्रेरणा में विज्ञापन की दरें

विज्ञापन मे उद्योगों से संबंधित प्लाट एवं मशीनरी की खरीदी बिक्री, औद्योगिक इकाई के बेचने एवं खरीदने संबंधी, उत्पाद/सेवाओं के प्रचार प्रसार, कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रदायकर्ता की तलाश, निविदाएं, श्रम शक्ति की आवश्यकता, स्पेशलाइजेशन सेवाओं की आपूर्ति अन्य जानकारी आदि दिये जा सकते है। अपनी आवश्यकतानुसार विज्ञापन दे कर लाभ उठाएँ।

1.	फुल पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट	––	रू. 2000.00
2.	आधा पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट	––	रू. 1100.00
3.	एक चौथाई पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट	––	रू. 600.00

ALL YOUR *GENERAL INSURANCE* PROTECTION UNDER ONE ROOF

Special discounted premiums for MPSSIO members under MoU signed with MPSSIO

Compare Today For Best Premium Rate

- **Fire & Burglary Insurance**
- **Motor Insurance**
- **Workmen Compensation Insurance**
- **Health & Accident Insurance**
- **Marine (Transit) Insurance, etc..**

MAYANK UPADHYAY

Mob : 9827073032, Email ID : mayank.balajiinsurance@gmail.com

BALAJI INSURANCE ADVISOR

Office Address: HIG-34, Sahara Homes, Shivaji Nagar, Bhopal - 462011

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in